आदेश की क्रम सं० और तरीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
10/9/18	**न्यायालय आरबीट्रेटर–सह– अपर समाहर्त्ता, पटना** **विवाचन वाद सं०–07/2016** **मो० अनिता सहाय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य** **आदेश** प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मो० अनिता सहाय पति– स्व0 सुशील बिहारी सहाय, साकिन–फ्लैट नं०–302 बाल बिहारी मेन्सन एपार्टमेन्ट एन०सी० घोषलेन न्यू जक्कनपुर, थाना–गर्दनीबाग, जिला पटना द्वारा परियोजना–एन०एच०–30–84 पटना–बक्सर फोरलेन अन्तर्गत LA Case No-26/2012-13 मौजा–चितकोहरा, थाना नं०–17, खाता सं०–156, खेसरा सं०–1671, रकवा 0.03125 एकड़ अर्जनाधीन भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्राप्त मुआवजा से असंतुष्ट होने के कारण मामलो को भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत रेफरेन्स में भेजने हेतु वाद दायर किया गया जिसके आलोक में प्रस्तुत वाद प्रारंभ किया गया। प्रस्तुत वाद से संबंधित भूमि के अर्जन की कार्यवाही निम्न प्रकार से की गई है:– 1. NH Act की धारा 3A– के तहत अधिसूचना–28.09.2011 2. NH Act की धारा 3A के तहत अधिसूचना का पेपर प्रकाशन–28.11.2011 3. NH Act की धारा 3D के तहत अधिघोषणा–05.06.2012 4. NH Act की धारा 3(D)के तहत अधिघोषणा का पेपर प्रकाशन–24.07.2012 5. निर्धारित/ स्वीकृत दर मो०–3,30,00,000.00 रूपये प्रति एकड़ 6. NH Act की धारा 3जी के तहत प्राक्कलन की स्वीकृति की तिथि–07.03.2013 7. दखल–कब्जा की तिथि–12.04.2013 वादिनी द्वारा दायर अपने वाद में कहा गया है कि पटना–बक्सर फोर लेन विस्तारिकरण अन्तर्गत LA Case No-26/2012-13 द्वारा अर्जित मौजा–चितकोहरा, थाना नं०–71, रकवा–0.03125 एकड़ का 100% मुआवजा राशि मो०–22,29,047.00 रूपये मात्र का भुगतान किया गया है जबकि उनकी जानकारी के अनुसार दूसरे रैयत को 26,00,000.00 रूपये भुगतान किया गया। फलस्वरूप वादनी द्वारा माामले को रेफरेन्स में भेजने का अनुरोध किया गया है। वादनी द्वारा किये गये आपत्ति के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुनवाई के क्रम में उपस्थित हुए उनके द्वारा बताया गया कि वादनी मो० अनीता सहाय पति–सुशील बिहारी सहाय, साकिन–बैजू बरहोंगा, ाीना–बस्तरपुर, जिला–सिवान को खाता सं०–156, खेसरा सं०–1671, रकवा–0.03125 एकड़ के लिए मो०–22,29,047.00 (बाईस लाख उनतीस हजार सैतालीस रूपये) का भुगतान 20.09.2014 को किया गया है। चुकि वादनी द्वारा निर्धारित समय	

आदेश की क्रम सं० और तरीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

(4)

सीमा के अन्दर स्वेच्छा शपथ पत्र नही दिया गया था, फलस्वरूप उन्हे सोलेशियम राशि 30% भुगतान की गई है। समक्ष प्राधिकारी द्वारा आगे कहा गया कि किसी वाद या माामले को रेफरेन्स वाद में भेजने के बिन्दु पर विवाचन वाद अन्तर्गत सुनवाई नियम संगत नही है। सुनवाई के क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादनी को मुआवजा भुगतान से संबंधित मूल्यांकन खतियान की प्रति प्रस्तुत की गई है। दायर वाद के संदर्भ में परियोजना निदेशक NHAI पटना की ओर से कहा गया की दायर वाद भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत दायर है। फलस्वरूप ये खारिज करने योग्य है क्योकि NH Act-1956 की धारा 3G(5) के तहत विवाचन वाद अन्तर्गत भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 की सुनवाई नही की जा सकती है। मुआवजा भुगतान हेतु दर का निर्धारण सरकारी प्रावधानानुसार छः सदस्यीय प्रकृति निर्धारण समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई है। फलस्वरूप इसपर वादनी की आपत्ति स्वीकार योग्य नही है।

चूंकि वादनी द्वारा दायर प्रस्तुत वाद भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–18 के तहत रेफरेन्स करने हेतु दायर की गई है जिसपर विवाचन वाद अन्तर्गत निर्णय नही लिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में प्रस्तुत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आरबीट्रेटर
–सह–
अपर समाहर्त्ता,
पटना।